न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–4/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/6)

01. गोविन्दा उम्र 80 वर्ष,
02. मूल्या उम्र 78 वर्ष,
03. रामप्रताप उम्र 75 वर्ष,
04. समरथ उम्र 70 वर्ष, पि. स्व. धन्ना, जाति मीना निवासी नापाकाबास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामसहाय पुत्र जयनारायण, जाति मीना, निवासी ग्राम नापाकाबास हाल निवासी इमली फाटक जे.पी.कॉलोनी, मकान नम्बर 36 बी ब्लॉक जयपुर।
02. रामकरण पुत्र जयनारायण,
03. किशन पुत्र स्व. देवा,
04. रामजीलाल पुत्र स्व. हीरा,
05. कालू,
06. पप्पू पि. स्व. कल्याण,
07. कानी,
08. सोनी,
09. ग्यारसी,
10. कैलाश पुत्रीयान स्व. हरदेवा,
11. धर्मराज द.पु. स्व. हरदेवा जाति मीना निवासी नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा, राज़स्थान।
12. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामढ पचवारा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री कृष्णमुरारी शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलोक चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**
3. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 11 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 15.04.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा द्वारा मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटू मीना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 20.06.2012 के सम्बन्ध में पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक जगन्नाथ पुत्र छाटू मीना के वारिसान की विधिवत जांच कर नामान्तरकरण के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये था, मृतक जगन्नाथ पुत्र

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

छोटू की खातेदारी खसरा नम्बर 4, 54, 55 कुल 63 बीघा 12 बिस्वा में हिस्सा 1/3 दर्ज था तथा धन्ना पुत्र नोन्दा के वारिसान का हिस्सा 1/3 पूर्व से ही चला आ रहा था। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने इस पूरे प्रकरण में यह समझ में नही आया कि पक्षकारान के बीच जो विवाद है। वह मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटू मीना के हिस्सा 1/3 का ही विवाद है और उसके हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 20.06.2012 जो नोन्दा के वारिसान भौरया, धन्ना, जयनारायण के हक में खुला है उसका ही निर्णय करना था परन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा के पीठासीन अधिकारी ने अवैध तरीके से वंशीभूत होकर मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटू के हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 202 हिस्सा 1/3 के बारे मे नही निर्णय नही कर जो भूमि चक नम्बर 3 की जिससे जगन्नाथ पुत्र छोटू का कोई सम्बन्ध ही नही है तथा खसरा नम्बर 4, 54, 55 में धन्ना पुत्र नोन्दा का हिस्सा 1/3 है उसे भी विलोपित कर दिया तथा धन्ना पुत्र नोन्दा के हिस्से की भूमि की खातेदारी को भी हटाकर जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट को 1/2, 1/2 के हकूक दे दिये, जो गलत व गैर कानूनी है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का मौका भी नही दिया गया। दिनांक 16.07.2015 के पश्चात् पत्रावली साढे सात वर्ष तक बिना कार्यवाही पड़ी रही साढे सात साल के बाद अपीलान्ट को बिना सुने ही न्याय का गला घोटते हुए तलबी पत्रावली के चलते हुए तलबी की स्टेज पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि चक नम्बर 3 की जमाबन्दी से तो जगन्नाथ पुत्र छोटू का कोई वास्ता ही नही है, ना ही यह खसरा नम्बर 1 अपील में विवादित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय साम्या व सद्विवेक के विरूद्ध जाकर चक नमबर 3 में वर्णित खसरा नम्बर 1 रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा के रिकार्ड में धन्ना पुत्र नोन्दा पर्सनल खातेदारी को भी विलोपित कर दी जबकि चक नम्बर 3 की भूमि में जगन्नाथ पुत्र छोटू को कोई सम्बन्ध ही नही है, धन्ना पुत्र नोन्दा की अलग खातेदारी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 4, 54, 55 कुल किता 63 बीघा 12 बिस्वा में भी धन्ना पुत्र नोन्दा के वारिसान का हिस्सा 1/3 अलग हिस्सा था तथा हिस्सा 1/3 जगन्नाथ पुत्र छोटू का हिस्सा 1/3 अलग था। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने इस भूमि में से हिस्सा 1/3 धन्ना पुत्र नोन्दा को भी विलोपित कर भारी कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदाहर रामगढ पचवारा को मात्र जगन्नाथ पुत्र छोटू मीना की विरासत नामान्तरकरण संख्या 202 जिसमें जगन्नाथ पुत्र छोटू का 63 बीघा 12 बिस्वा में हिस्सा 1/3 था उसी का फैसला करना था परन्तु अपने अधिकार क्षेत्र व अपर न्यायालय उप जिलाधीश लालसोट के आदेश के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी से ज्ञान के अभाव के कारण जिस भूमि का कोई विवाद ही नही है, जो प्रकरण में अन्तर्वलित नही है, जिसके बारे में पक्षकारान के बीच कोई विवाद नही है, उस खातेदारी को गलत रूप से गलत तरीके से विलोपित कर दिया जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022

P.T.O.

निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलार रामागढ पचवारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करें तथा अपीलान्ट के नाम चली आ रही खातेदारी नापाकाबास चक नम्बर 3 में विर्णत खसरा नम्बर 1 व 2 को पुनः दर्ज की जावें इसके अलवा खसरा नम्बर 4, 54, 55 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा में धन्ना पुत्र नोन्दा के वारिसान का हिस्सा 1/3 भी पुनः राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के लिए तहसीलदार रामगढ पचवारा को हुक्म फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 11 ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय 26.09.2013 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि धन्ना प्रकृतिक पुत्र नोन्दा ही तुलसा का वारिसा था तथा तुलसा के गोद जाने के बाद धन्ना का अपने पिता नोन्दा की सम्पत्ति पर कोई हक हकूक शेष नही रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बरों के अतिरिक्त खसरा नम्बरों को भी अपीलाधीन निर्णय में सम्मलित किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। लगभग 7 वर्ष 2 माह पश्चात् ग्रहण किये गये शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर समस्त प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने बाबत तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 पारित किया गया जिसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विस्तृत जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ पचवारा जिला दौसा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि का पूर्णतः एवं गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर